विवेक ढाँड
(आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 5478
दिनांक : 20.04.12

विषय :– बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु केंद्रांश राशि के आवंटन बाबत् ।

संदर्भ :– अर्द्धशासकीय पत्र कमांक F1-15/07 दिनांक 06.03.2012

प्रिय अनिल,

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2000 से दिसम्बर 2011 तक कुल 1759 बंधक श्रमिक अन्य राज्यों से अवमुक्त कराये गए है, जिनमें से 812 श्रमिकों को केन्द्रांश राशि रूपये 10,000 एवं 857 श्रमिकों को राज्यांश राशि रूपये 10,000 दी जा कर पुनर्वासित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 947 बंधक श्रमिकों को केन्द्रांश राशि एवं 902 श्रमिकों को राज्यांश राशि दी जाना शेष है। (जानकारी संलग्न हैं)। वर्ष 2010 में आबंटित राशि 58.60 लाख एवं वर्ष 2011 में आबंटित राशि 10.20 लाख केन्द्रांश राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कमांक 4404 दिनांक 22.03.2012 द्वारा प्रेषित किया जा चुका हैं । वर्ष 2012–13 में बंधक श्रम पुर्नवास हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्यांश राशि 55.00 लाख रूपये प्रावधानित हैं ।

अतः अनुरोध है कि 947 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक 10,000 रूपए के मान से केन्द्रांश राशि रूपए 94,70,000/–(चौरानबे लाख सत्तर हजार मात्र) शीघ्र आबंटित किए जाने का कष्ट करें ।

शुभकामनाएं,
भवदीय

(विवेक ढाँड)

प्रति,

श्री अनिल स्वरूप
महानिदेशक, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली–110011